बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

सं०सं०–16/न्या0–04–01/2026 2185 पटना, दिनांक– 11/06/26

विभागीय अधिसूचना सं0–3608 दिनांक–04.10.2025 द्वारा श्री अनुभूति श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–नगर विकास एवं आवास विकास को निलंबित किया गया था।

2. अवमाननावाद MJC No. 53/2026 (CWJC No. 16714/2025 से उद्भूत) अनुभूति श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक–14.05.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री श्रीवास्तव से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत उन्हें तत्काल प्रभाव से **निलंबन मुक्त** किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(परमानंद पाण्डेय)
अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–16/न्या0–04–01/2026 2185 पटना, दिनांक– 11/06/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सिवान/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान/संबंधित कोषागार पदाधिकारी (विकास भवन)/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री अनुभूति श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–नगर विकास एवं आवास विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी (कनीय प्रभारी, स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध है कि श्री अनुभूति श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–नगर विकास एवं आवास विकास के पदस्थापन के संबंध में आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

Pandey 10.6.26

अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।